



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ 226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324026
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeffolko@gmail.com

पत्र सं० एबी/06/93/2016/एफसीओ/370

TC
C.S.F
4/11/16

दिनांक : 03/11/16

सेवा में,
विशेष सचिव (वन),
उत्तर प्रदेश शासन,
बापू भवन, लखनऊ।

(ऑन-लाईन प्रस्ताव संख्या-PP/UP/ROAD/7444/2014)

विषय: अलीगढ़-गुरादाबाद रोडेशन (एन0एच0-93) के बौद्धिकरण किये जाने हेतु अलीगढ़ में किमी0 85.700 से 100.372 तक 7.4228 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 250 वृक्षों के पातन, बुलन्दशहर में किमी0 126.000 से 133.860 तक 3.5760 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 61 वृक्षों के पातन, संगंल में किमी0 142.220 से 205.00 तक 32.7792 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 3777 वृक्षों के पातन तथा गुरादाबाद में किमी 205.00 से 232.00 तक 14.4852 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 454 वृक्षों के पातन कुल 58.2630 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 4542 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ: विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक- पी-140/14-2-2016-800(136)/2016, दिनांक-28.09.2016

गहोदय,
उपरोक्त विषय पर भुझे आपके पत्र का संदर्भ लेते हुए सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव के निरीक्षण के उपरान्त प्रस्ताव में त्रुटियाँ पायी गयी हैं जो निम्नलिखित हैं-

1. The short narrative of proposal submitted online does not provide relevant information.
2. The copy of documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency is incorrect.
3. At B-1 information regarding previous approval shows that two approvals in principle has been accorded in 2012 and 2013 but stage II/final approval is still pending. This issue requires clarification/factual position.
4. The data provided for village wise breakup of non forest land at B-2.3 does not tally with the data provided at A1 (ix).
5. The employment generation data at E is incorrect.
6. The proposal has been submitted without providing kmf files in CID for proposed forest land diversion and proposed compensatory afforestation.
7. The kmf file for proposed forest land diversion (uploaded with online proposal) is in poly line format rather polygon format. This needs revision.

AP
3/11/16

प्रतिलिपि सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, (वन संरक्षण), अरण्य भवन, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ (मूल प्रस्ताव संशोधन हेतु संलग्न)।
2. वन संरक्षक, अलीगढ़, मेरठ एवं मुरादाबाद, 10 प्र०।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़, 10 प्र०।
4. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर, 10 प्र०।
5. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, राममल, 10 प्र०।
6. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुरादाबाद, 10 प्र०।
7. परियोजना निदेशक, एन०एच०ए०आई०, पी०अ०ई०यू०, मुरादाबाद, 10 प्र०।
8. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, जल एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
9. आदेश प्रभावली



(बृजेन्द्र सारुप)

वन संरक्षक (केन्द्रीय)

बृजेन्द्र सारुप

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक - 968 / राभेकिता / 7444 / 2014 / सूपी-14, दिनांक, लखनऊ, नवम्बर 04, 2016

प्रतिलिपि वन संरक्षक, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित कि किरी प्रतिलिपि को अभिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रतियाँ इस कार्यालय से प्राप्त करा लें एवं इंगित सूचनाओं का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव तथा निर्धारित प्रारूप में बिन्दुवार सूचना इस कार्यालय को यथासंभव उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि वन संरक्षक, अलीगढ़ व मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि अपने कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित सूचनाओं एवं अभिलेखों को पूर्ण कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, मुरादाबाद, अलीगढ़, बुलन्दशहर एवं राममल को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा इंगित सूचनाओं एवं अभिलेखों को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव एवं निर्धारित प्रारूप में बिन्दुवार सूचना अपने वन संरक्षक, के माध्यम से वन संरक्षक, मुरादाबाद को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी०आई०यू०, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित कि बिन्दुवार सूचना एवं अभिलेख सम्बन्धित प्रभागीय निदेशक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।



मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रतिलिपि सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, (वन संरक्षण), उत्तर प्रदेश, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ (मूल प्रस्ताव संशोधन हेतु संलग्न)।
2. वन संरक्षक, अलीगढ़, मेरठ एवं मुरादाबाद, 30 प्र०।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़, 30 प्र०।
4. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर, 30 प्र०।
5. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, सम्भल, 30 प्र०।
6. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुरादाबाद, 30 प्र०।
7. परियोजना निदेशक, एन०एच०५०आई०, पी०आई०यू०, मुरादाबाद, 30 प्र०।
8. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
9. आदेश प्रभावली



(वृजेन्द्र स्वरूप)

वन संरक्षक (केन्द्रीय)

वृजेन्द्र स्वरूप

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।


पत्रांक - 968 / राभेविता / 7444 / 2014 / सू०-14, दिनांक, लखनऊ, नवम्बर 04, 2016

प्रतिलिपि वन संरक्षक, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित कि किरी प्रतिलिपि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रतियां इस कार्यालय से प्राप्त करा लें एवं इंगित सूचनाओं का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव तथा निर्धारित प्रारूप में बिन्दुवार सूचना इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि वन संरक्षक, अलीगढ़ व मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि अपने कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित सूचनाओं एवं अभिलेखों को पूर्ण कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, मुरादाबाद, अलीगढ़, बुलन्दशहर एवं सम्भल को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा इंगित सूचनाओं एवं अभिलेखों को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव एवं निर्धारित प्रारूप में बिन्दुवार सूचना अपने वन संरक्षक, के माध्यम से वन संरक्षक, मुरादाबाद को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी०आई०यू०, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित कि बिन्दुवार सूचना एवं अभिलेख सम्बन्धित प्रभागीय निदेशक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।



मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।